भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-143
उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

† 143. **श्री शफी परम्बिल:**
श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष उच्च शिक्षा में श्रेणी-वार [अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक और महिलाएं] का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) कितना है और उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार जीईआर कितना है;
(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत जीईआर का लक्ष्य प्राप्त करने की राह पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए समयबद्ध रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;
(ग) एनईपी, 2020 की घोषणा के बाद से अधिगम परिणामों में हुए उल्लेखनीय सुधार क्या हैं और उच्च शिक्षा तक अभिगम को बेहतर बनाने के लिए विशेषकर ग्रामीण और आकांक्षी जिलों में की गई प्रमुख पहल क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2023-24 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 30 है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक श्रेणी-वार, जेंडर-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जीईआर एआईएसएचई रिपोर्ट, 2023-24

में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट को https://aishe.gov.in/aishe-final-report/ पर देखा जा सकता है।

(ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा में 50 प्रतिशत जीईआर प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 30 है।

(ग): एआईएसएचई के अनुसार, उच्चतर शिक्षा में नामांकन वर्ष 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 4.5 करोड़ हो गया है (31.5% की वृद्धि)। समग्र जीईआर वर्ष 2014-15 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30 हो गया है।

शैक्षिक रूप से वंचित/अल्पसेवित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना का कार्यांवयन कर रहा है, जो विभिन्न घटकों जैसे बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू), विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (प्रत्यायित और अप्रत्यायित विश्वविद्यालय), कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान (प्रत्यायित और अप्रत्यायित कॉलेज) नए मॉडल डिग्री कॉलेज और लैंगिक समावेश और समानता पहल के तहत सहायता के माध्यम से राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और उत्कृष्टता में सुधार की परिकल्पना करता है। सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12,926.10 करोड़ रुपये, जिसमें रूसा के पहले चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल हैं, के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण शुरू किया है। इस योजना के तहत, कुल 8,168.51 करोड़ रुपये की राशि के साथ 613 इकाइयों को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई, 2025 में आयोजित अपनी बैठक में 11,828.79 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) में स्थापित पांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित शैक्षिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को मंजूरी दी है। सरकार ने उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) के माध्यम से शैक्षिक और छात्रावास अवसंरचना विस्तार और आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना और आईआईटी इंदौर के लिए अनुसंधान पार्क के विकास के लिए कुल 1,942 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी है।

(घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और देश में अधिकांश स्कूल और शिक्षक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आती है।

भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और रिक्तियां कई कारकों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण शिक्षकों की अधिक आवश्यकता आदि की वजह से उत्पन्न होती हैं।

केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आती है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने किसी व्यक्ति के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। सरकार आवधिक रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की सलाह देती है ताकि स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के संगठनों के माध्यम से पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों की समय पर भर्ती सुनिश्चित की जा सके।

स्कूलों से वास्तविक समय डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 से शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) विकसित किया है। यूडाइज़ + 2025-26 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 51,34,623 है।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी सहित केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचईआई) संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/ अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। स्वायत्त संस्थाओं के रूप में, संकाय भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके अधिनियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती की शक्तियां संबंधित शासी बोर्ड/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं।

केन्द्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में, गुणवत्ता वाले संकाय को आकर्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें वर्ष भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रण आदि शामिल हैं। संकाय भर्ती प्रक्रियाएं एक बहु-चरणीय और मजबूत स्क्रीनिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में, एक पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके, सीईएचई द्वारा की जाती हैं। विभिन्न संस्थानों के अधिनियमों और संविधियों में चयन समितियों की संरचना, संकाय के विभिन्न स्तरों की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों का प्रावधान और विजिटर के नामांकित व्यक्तियों आदि को निर्दिष्ट किया गया है ताकि भर्ती में पारदर्शिता और शैक्षणिक सख्ती सुनिश्चित की जा सके।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीईएचई से मिशन मोड में अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था। सीएचईआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई से मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का आग्रह किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीईएचई से एक वर्ष की अवधि के भीतर मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का पुनः अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सभी सीईएचआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान चलाया है। दिनांक 23.05.2026 (अर्थात रोजगार मेले की अंतिम तारीख) तक, मिशन मोड में 18757 संकाय पदों सहित सभी सीएचईआई द्वारा कुल 32114 पद भरे गए हैं।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2023-24 के अनुसार, एआईएसएचई पर पंजीकृत उच्चतर शैक्षिक संस्थानों (एचईआई) में शिक्षकों की कुल संख्या 17,32,294 है।
